

न्यायालय भू- प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
22.5.18	<p>पत्रावली पेशा हुई। बार-बार आवाज लगावते आते थे बाद भी नती अग्रिमार्थ अपीलान्तर और न ही स्वयं अपीलान्तर उपस्थित आये। अतः अपील अपीलान्तर अदम करी अदम हाजरी में रवारिज की जाती है। पत्रावली फेंसल शुभार हेतु रखर ले कम की जाकर बाद त्वसील आह्ला दारिज दफ्तार की जावे।</p>

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर